न्यायालय, समाहर्त्ता सह जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– (आंगनबाड़ी)विविध वाद सं0–89 / 2014 बबीता देवी वनाम राज्य(जि0प्रो0पदा0,खगड़िया) 15 / 15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
19.09.2017	**आदेश** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 89 / 2015 बबीता देवी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया में दिनांक 14.08.15 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका / सहायिका के चयन / चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनवाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिस जारी किया गया। अपील वाद में कहा गया है कि वे आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–154 की सहायिका है और नियमित रूप से तथा निर्धारित समय पर केन्द्र पर जाती एवं आती हैं। केन्द्र की सेविका की मृत्यु दिनांक 08.08.013 को हो गयी है। सेविका की मृत्युपरान्त उक्त केन्द्र पर पोषाहार बाधित रहा है तथा पोशाक राशि भी उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका यह भी कहना है कि राज्यस्तरीय टीम द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या–154 का निरीक्षण किया गया था। उस दिन भी केन्द्र को खोला गया था, लेकिन उनके पास घड़ी नहीं रहने के कारण तथा एक आदमी से पूछ तो कहा कि 1.00 बजे गया है तो सभी बच्चे को छुट्टी दे दिये और घर चली गयी। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा दिनांक 07.10.13 को केन्द्र संख्या–154 की जॉच 12.45 बजे अपराह्न में जॉच की गयी। जॉच पदाधिकारी के पत्रांक 5721 दिनांक 24.10.13 से प्रतिवेदन भेजा गया। जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि जॉच के समय केन्द्र पूर्णतः बन्द पाया गया। केन्द्र की सेविका की मृत्यु हो चुकी है। सहायिका केन्द्र से अनुपस्थित थी एवं केन्द्र पर एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था। केन्द्र स्थल के बाहर बोर्ड लगा हुआ था। उक्त प्रतिवेदन में सहायिका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा की गयी। उक्त अनुशंसा के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा सुनवाई के क्रम में पाया गया कि सहायिका द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया जो स्पष्टीकरण एवं मौखिक बोला गया उसमें भिन्नता पायी गयी तथा पाया गया कि सहायिका द्वारा जान	

बूझकर केन्द्र संचालन में लारवाही बरती गयी है। और उक्त के आलोक में आई.सी.डी.एस. निदेशालय के पत्रांक 2120 दिनांक 24.10.1013 के आलोक में केन्द्र संख्या–154 की सहायिका को चयनमुक्त कर दिया गया तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया सदर को केन्द्र सं0–154 में नये सिरे से चयन करने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी कई तिथियों पर अनुपस्थित पायी गयी। दैनिक समचार पत्र " प्रभात खाबर" में दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को सूचना प्रकाशित कराया गया। अपीलार्थी की ओर से हाजिरी के साथ वकालतनामा दाखिल किया गया।

अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन के अलावे और कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या कोई लिखित वहस दाखिल नहीं किया गया है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि राज्यस्तरीय जॉच टीम की अनुशंसा के आलोक में अपीलार्थी के विरूद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सही एवं सम्यक है।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में अपने कथन के समर्थन में कि वे नियमित रूप से ससमय केन्द्र जाती है एवं आती है तथा राज्य स्तरीय जॉच टीम द्वारा जॉच की तिथि अर्थात् दिनांक 07.10.13 को एक आदमी से पूछा तो कहा कि 1.00 बज गया है और सभी बच्चे को छुट्टी दे दिये तथा घर चली गयी, हो सकता है कि 5 मिनट कम हो, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 01.08.14 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 449 /विधि, दिनांक 27/11/2017 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 27/11 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 27/11/17	